–: आदेश :–

जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, जनपद अल्मोडा एवं उधमसिंहनगर द्वारा उक्त जनपदों में कार्यरत अर्बन को–आपरेटिव बैंक के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो के सन्दर्भ में अवगत कराते हुये उक्त बैंकों की प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन हेतु निर्वाचन तिथियां निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 (2) में निर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत ऐसे प्राथमिक अर्बन को–आपरेटिव बैंक, जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पूर्ण होने को हैं, की नई प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संस्थाओं में अधिनियम की धारा 29 (3) के अधीन निर्वाचन करवाया जाना आवश्यक है,

अतः उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 यथा संशोधित की धारा 29 (3–क) में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य में पंजीकृत निम्न प्राथमिक अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि0, जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पूर्ण होने वाले हैं, की नई प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन हेतु सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति तथा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु एतदद्वारा निम्नानुसार निर्वाचन तिथियां निर्धारित की जाती है–

क0 सं0	नाम संस्था	सामान्य निकाय के सदस्यों हेतु निर्वाचन तिथियां।	प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की निर्वाचन तिथियां।	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों हेतु निर्वाचन तिथियां।
1	अल्मोडा अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लि0 अल्मोडा।	**10.08.2026**	**21.08.2026**	**22.08.2026**
2	काशीपुर अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लि0 काशीपुर, उत्तराखण्ड।			

नोट– उक्तानुसार निर्धारित तिथियों का निर्वाचन कार्यक्रम पृथक से जारी किया जायेगा।

ह0/–
(हंसा दत्त पाण्डे)
अध्यक्ष,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक–316-23/अर्ब0को0बैं0निर्वा0अधि0/सह0नि0प्रा0/2026–27 दिनांक 16 जून 2026।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
2. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/उप निबन्धक सहकारी समितियां, गढवाल एवं कुमाऊ।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक/ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित सचिव/प्रबन्ध निदेशक, अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लि0।
8. कार्यालय प्रति निर्वाचन प्रकोष्ठ।

16/6/26
(एम0 पी0 त्रिपाठी)
सदस्य सचिव,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।